पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprises)

संदर्भ: PGCIL/R/E/20/00077 दिनांक:30.09.2020

सेवा में,
श्री सत्येन्द्र सिंह
राज नगर कालोनी गली
अमृत विचार न्यूज़ पेपर
बी०एस०एन०एल० पावर सेटेलाइट,
बरेली(यू०पी०)-243005
मो० 9927482168

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत, आपके ऑनलाइन पत्र दिनांक 08.09.2020 के संबंध में

महोदय,
आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत, भेजा गया ऑनलाइन पत्र दिनांक 08.09.2020 को प्राप्त हुआ है | मांगी गयी जानकारी निम्नवत है-

क्रमांक	मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी
01.	जो पेड़ विद्युत् लाइन के मध्य या आस पास होते है और विद्युत् बाधित होने की वजह से आपका विभाग कटवाना चाहता है| ऐसे पेड़ों को पेड़ मालिक को सूचना दिए बिना, स्वयं विभाग को जड़ से काटने का अधिकार है | कृपया authority बताने की कृपा करें या ऊपर से पेड़ छांटने का अधिकार है |	पेड़ों के पातन से पूर्व भू-स्वामी को पावरग्रिड द्वारा नोटिस जारी की जाती है |
02.	ऐसे बिजली के तार जो कि खेतों के ऊपर से जा रहे है, ऐसे तारों को ऊपर के बजाये यदि जमीन में केबल आदि डालकर बिजली सप्लाई की यदि ज़मीन में केबल आदि डालकर बिजली सप्लाई ली जाये, तो खेती पेड़ों आदि की हानि और खतरा दोनों से बचा जा सकता है | अतः निवेदन यह है कि यदि कोई नियम कानून ऐसा हो जिसमे बिजली की लाइन केबल डालकर जमीन के अंदर से लिये जाने का प्रावधान हो, का उल्लेख करने की कृपा करें और तरीका और authority बताने का कष्ट करें |	आपके द्वारा मांगी गयी जानकारी हमारे विभाग में उपलब्ध नहीं है |
03.	यदि विद्युत् लाइन के मध्य या आस पास पेड़ों को काटना आवश्यक हो तो उसका मुआवजा किसान को देने के लिये क्या नियम है का उल्लेख करें और कितना रुपया एक पेड़ पर बतौर मुआवजा देना होता है, बताने का कष्ट करें |	इंडियन टेलीग्राफ एक्ट – 1885 के सेक्शन 10 एवं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन-164 के अंतर्गत पारेषण लाइन निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त फसल/वृक्ष इत्यादि हेतु मुआवज़ा राशि देने का प्रावधान है जिसका निर्धारण राजस्व व उद्यान एवं खाद्य प्रशंसकरण विभाग/ वन विभाग द्वारा वृक्ष की प्रजाति, वृक्ष का आकार/गोलाई/आयु, उत्पादकता आदि के आधार पर किया जाता है |

क्रमांक	मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी
04.	यदि कोई मकान या अर्धनिर्मित मकान विद्युत् लाइन के मध्य या आस पास आता है तो क्या ऐसा मकान को गिराने का अधिकार आपके विभाग को है यदि हाँ तो authority का उल्लेख करें और कॉपी भेजने की कृपा करें।	भारत विद्युत् अधिनियम 2003 एवं केंद्रीय विद्युत् प्राधिकरण की सुरक्षा तथा आपूर्ति सम्बन्धी उपाय हेतु अधिसूचना दिनांक 24.09.2010 (धारा 61) के अनुसार, ओवरहेड लाइन के नीचे कोई इमारत नहीं बनाई जानी चाहिए।
05.	जो विद्युत् लाइन हमारे खेतों के ऊपर से जा रही है जिससे हमें हमेशा खतरा बना रहता है और पेड़ (बाग़) ट्यूबबेल, कोई रहने के लिये मकान आदि हम विद्युत् लाइन के नीचे नहीं बना सके। ऐसी स्थिति में किसान को अपनी जमीन पर कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है और नुकसान भी है। उक्त क्षतिपूर्ति के लिये विभाग क्या नियम कानून है, बताने की कृपा करें, जमीन आदि पर।	यदि कोई मकान, ट्यूबबेल आदि पारेषण लाइन के कार्य शुरू होने से पूर्व बना है तो उसका मुआवज़ा राजस्व विभाग के निर्देशानुसार किया जाता है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:

श्री संजय गुप्ता
कार्यपालक निदेशक,
पावरग्रिड उ०क्षे० – 3
12 राणा प्रताप मार्ग,
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ – 226001

भवदीय,

राणा प्रताप 30.09.20

[राणा प्रताप]
महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)
पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. – 3,
पावरग्रिड, लखनऊ